

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

विद्यालयों के अंशकालीन स्वीपर व आकस्मिकता निधि भृत्य के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 224.01 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,24,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 17

मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिये पाटन, जिला-दुर्ग एवं रायपुर में 1-1 बालक एवं कन्या नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	मैट्रिक्स लेवल	प्रति संस्था पदों की संख्या	कुल पद संख्या
1	प्रशासकीय अधिकारी	13	01	02
2	उप प्रशासकीय अधिकारी	12	01	02
3	छात्रावास अधीक्षक-स श्रेणी	9	02	04
4	छात्रावास अधीक्षक-द श्रेणी	8	02	04
5	रिशोप्सनिस्ट सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	6	01	02
6	स्टोर कीपर सह लेखापाल	7	01	02
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	03	06
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (आकस्मिक स्थापना)	कलेक्टर दर	08	16
9	इलेक्ट्रिशियन	कलेक्टर दर	01	02
10	प्लम्बर	कलेक्टर दर	01	02
11	अंशकालीन स्वीपर	कलेक्टर दर	04	08
		योग	25	50

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 18

नगर पंचायत थानखम्हरिया एवं पथरिया में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए पदों के सृजन हेतु वेतन भत्ते मद में ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19

नगर पंचायत थानखम्हरिया एवं पथरिया में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मुख्यशीर्ष 2204

मद क्रमांक 20

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के आयोजन हेतु ₹ 24.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 21

राज्य युवा महोत्सव के आयोजन हेतु ₹ 36.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 22 से 23

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 8500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 85,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत राशि ₹ 3000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 25

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केन्द्रांश राशि के समतुल्य राज्यांश राशि हेतु ₹ 649.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 6,49,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 26

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत ₹512.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,12,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹79.06 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹79,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

सबके लिए आवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹5782.32 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹57,82,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹67.34 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹67,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹6,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

सबके लिए आवास योजना अंतर्गत स्थानीय निकायों हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹0.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत ₹142.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,42,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹22.03 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹22,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

सबके लिए आवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹2170.45 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹21,70,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹18.77 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹18,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹16.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹16,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

सबके लिए आवास योजना अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹0.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत ₹184.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,84,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹28.51 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹28,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

सबके लिए आवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹1572.37 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,72,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹24.29 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹24,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹27.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹27,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

सबके लिए आवास योजना अंतर्गत स्थानीय निकायों हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹0.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-2235**मद क्रमांक 44**

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका संतान के लिए सहायता राशि के भुगतान हेतु ₹100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

1. वन स्टॉप सेन्टर (सखी) के संचालन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।
अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
2. वन स्टॉप सेन्टर (सखी) के संचालन हेतु ₹ 110.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹1,10,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 46

1. “बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ” योजना के संचालन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।
अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
2. “बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ” योजना के संचालन हेतु ₹30.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹30,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-2236

मद क्रमांक 47 से 48

सबला योजनांतर्गत रेडी टू ईट फूड के देयको का भुगतान करने हेतु ₹ 240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 49

राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु ₹10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 50

नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना हेतु ₹ 12.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 51 से 52

डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200 का प्रतीक स्वीकृत किया गया है ।
अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 53

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹ 1343.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,43,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 54

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी के लिए ₹ 684.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,84,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 55

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹ 371.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,71,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 56

नगर पंचायत थानखम्हरिया एवं पथरिया में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए मशीन और उपकरण क्रय हेतु ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 57

नगर पंचायत थानखम्हरिया एवं पथरिया में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए भवन निर्माण हेतु ₹ 1822.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 58

ग्राम नवागांव, बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4215

मद क्रमांक 59

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹ 3633.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,33,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4225

मद क्रमांक 60

जिला मुंगेली के लालपुर में गुरु घासीदास जयंती स्थल का सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य हेतु ₹ 68.94 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-4235

मद क्रमांक 61

“वन स्टॉप सेंटर (सखी)” भवन निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 62 से 65

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाय) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम अंतर्गत 02 वृहद परियोजना (खारंग जलाशय एवं मनियारी जलाशय) हेतु ₹1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 66 से 67

सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान योजना के लिए ₹ 1265.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।